



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082022-238439
CG-DL-E-29082022-238439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3862]
No. 3862]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2022/भाद्र 7, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2022/BHADRA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2022

का.आ. 4036(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित का. आ. 2046 (अ), दिनांक 2 मई 2022 की संख्या में निम्नलिखित संशोधन करती है; उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, कॉलम 5 और कॉलम 6 में "गंगटोक" जोड़ा गया और "डिकलिंग, चेंजी सेंटी, छोटा सिंगतम" को पकयोंग जिले के लिए कॉलम 7 में जोड़ा गया और "नामली" को गंगटोक जिले के लिए कॉलम 7 में जोड़ा गया।

अनुसूची

सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 717 ए पर भूमि अधिग्रहण

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	जिला कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 717 ए के कि.मी. 0 से 20 तक	सिक्किम	पाक्योंग	पाक्योंग	1	करतोक
						2	पचे
						3	नामचेबंग
						4	येताम
						5	आहो
						6	डिक्लिंग
						7	चेंजी सेंटी
						8	छोटा सिंगतम
2				गंगटोक	नामली	नामली	

जिला कलेक्टर का परिवर्तन/संशोधन अनुरोध पत्र संख्या 1293/53/पी/II/डीसी/डीसी(जीटीके) दिनांक 02.06.2022 के माध्यम से।

परियोजना के भूमि अधिग्रहण में कुल 09 ब्लॉक/गांव शामिल हैं। हालाँकि, राजपत्र अधिसूचना धारा 3 (ए) के तहत केवल 05 ब्लॉकों / गांवों के लिए किया गया था। इसलिए, बचे हुए 04 ब्लॉकों/गांवों को जोड़ने के लिए शुद्धिपत्र आवश्यक है।

[फा. सं. NHIDCL/Sikkim/Ranipool-Pakyong/LA/2017/3a/corr]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th August, 2022

S.O. 4036(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number of S.O 2046 (E), dated 2nd May 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), namely;

In the Schedule to the said notification, “Gangtok” added in Col 5 & Col 6 and “Dikling, Changey Senti, Chota Singtam” added in Col 7 for Pakyong District and “Namli” added in Col 7 for Gangtok District.

SCHEDULE

Land Acquisition on National Highway No. 717 A in the State of Sikkim

Sl.No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Collector	0 KM to 20KM	Sikkim	Pakyong	Pakyong	1 Kartok
						2 Pachey
						3 Namcheybong
						4 Yentam
						5 Aho
						6 Dikling
						7 Changey Senti
						8 Chota Singtam
2				Gangtok	Namli	Namli

Request for Change/modification made vide District Collector letter no.1293/53/P/II/DC/DC(GTK) dated. 02.06.2022.

There are total 09 blocks/villages involved in the Land Acquisition of project. However, Gazettee notification u/s 3 (a) was done for only 05 blocks/villages. Therefore, corrigendum is required for adding left out 04 blocks/villages.

[F. No. NHIDCL/Sikkim/Ranipool-Pakyong/LA/2017/3a/corr]
RAJESH GUPTA, Director